# समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला शस्त्र शाखा)
## आदेश

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-534/श0, दिनांक-25.08.2021 द्वारा दिनांक-31.08.2021 से 02.09.2021 तक मुंगेर जिले में विधि व्यवस्था/शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के निमित आयुध नियम, 2016 के नियम 30 के अन्तर्गत व्यक्तिगत शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराये जाने का निदेश सभी व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों(प्रपत्र-III) को दिया गया था, परन्तु जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक अपने शस्त्र/कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, उन्हे अंतिम बार मौका देते हुए नीचे अंकित तालिकानुसार थानावार व्यक्तिगत शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 43(2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्राधिकृत किया जाता है।

| क्र0 | निरीक्षी पदाधिकारी का नाम | संबंधित थाना का नाम | निरीक्षण की तिथि |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1. | श्री सुरेश कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर। मो0-9473476516 | कोतवाली | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 2 | श्री राकेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर। मो0-7992425869 | कासिम बाजार | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 3 | श्री शशिकांत कुमार, अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर। मो0-85444126720 | मुफसिल | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 4 | मो0 इरफान अकबर, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर। मो0-7250397680 | नयारामनगर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 5 | श्री जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, जमालपुर। मो0-8544412669 | जमालपुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 6 | श्री प्रमोद बैठा, कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, मुंगेर। मो0-9006458977 | ईस्ट कॉलोनी | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 7 | सुश्री पूजा कुमारी, अंचलाधिकारी, धरहरा। मो0-8544412668 | धरहरा | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 8 | श्री राजन कुमार, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर। मो0-8800190720 | लड़ैयाटॉड़ | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 9 | श्री जय प्रकाश स्वर्णकार, अंचलाधिकारी, बरियारपुर। मो0-8544412667 | बरियारपुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 10 | श्री धीरज कुमार सिन्हा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ह0 खड़गपुर, मुंगेर। मो0-9523519241 | हवेली खड़गपुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 11 | श्री कुमार रवीन्द्र नाथ, अंचलाधिकारी, ह0 खड़गपुर, मुंगेर। मो0-8544412664 | गंगटा | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |

| क्र0 | निरीक्षी पदाधिकारी का नाम | संबंधित थाना का नाम | निरीक्षण |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 12 | श्री विनोद कुमार गुप्ता, अंचल अधिकारी, टेटियाबम्बर। मो0-9431818258 | टेटियाबम्बर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 13 | श्री अनुज कुमार झा, अंचलाधिकारी, असरगंज। मो0-8544412679 | असरगंज | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 14 | मो0 वसीम अकरम खान, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर। मो0-9899241407 | तारापुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 15 | सुश्री वंदना कुमारी, अंचलाधिकारी, तारापुर। मो0-8544412673 | हरपुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |
| 16 | सुश्री स्नेहा सत्यम, अंचल अधिकारी, संग्रामपुर। मो0-85444126772 | संग्रामपुर | 13.09.2021<br>14.09.2021<br>15.09.2021 |

उपरोक्त निरीक्षी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना में उपस्थित रहकर सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन स्तम्भ 4 में वर्णित तिथि को करेंगे। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित कारतूस के संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रपत्र में कारतूस क्रय की तिथि, कारतूस की संख्या, उपयोग किये गये कारतूस का विवरण, अवशेष कारतूस तथा कारतूस उपयोग का औचित्य के साथ संबंधित अनुज्ञप्तिधारी का विहित प्रपत्र में हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रतिहस्ताक्षर के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

अग्न्यास्त्रों के निरीक्षण के संबंध में उपरोक्त आशय की सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी जा रही है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः नियमित रूप से समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते है। अतः अपने थाना शस्त्र पंजी के अनुसार सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति की तिथि से अपने-अपने थाना के चौकीदार/दफादार के माध्यम से लिखित सूचना की तामिला करायेंगे ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके।

सूचना तामिला की एक प्रति थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 सह पठित आयुध नियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 के अन्तर्गत विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को थाना में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिला अन्तर्गत मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के वारिसानों/उत्तराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को संबंधित थाना/संबंधित प्रतिष्ठान में जमा नहीं किया जाता है। प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी का निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाए गये फोटो से मिलान कर ही उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन करेंगे।

जिला दंडाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...557./श0, दिनांक..10/..09./2021

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को निदेशित करते हुए शस्त्र के भौतिक सत्यापन का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के भौतिक सत्यापन का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने अनुमंडल अन्तर्गत व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के भौतिक सत्यापन का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- संबंधित पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम को दो दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर जिला सूचना पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि पत्र की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दंडाधिकारी,
मुंगेर।

D:\Pawan\2017\Murlibabu\45\ARMS Inspection date 09.09.2021.doc